"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2009—अग्रहायण 6, शक 1931

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-51/सात-3/2009.—छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2007) के अधीन नियम 3 के तहत विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 2 की कण्डिका (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारादीप से रायपुर एवं कोरबा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 313.056 हेक्टेयर भूमि निजी भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को कॉलम (3) में वर्णित क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है.

क्रमांक	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार	जिला	किलोमीटर	योग रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भू-अर्जन अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) जिला रायपुर	पारादीप रायपुर	महासमुंद एवं रायपुर	476.752-635.653	158.901
		सराईपाली कोरबा	महासमुंद, रायपुर जांजगीर-चांपा, कोरबा	0.000-154.155	154.155
			योग		313.056

Raipur, the 24th November 2009

NOTIFICATION

No. F-7-51/7-3/2009.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Rights of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the schedule given below to performs the functions of the Competent Authority Under said Act in respect of the area mentioned in column 3 of the said Schedule :

Serial No.	Name and address of the authority	Jurisdiction on the area	District	Kilometer	Total Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Land Acquisition Officer Deputy Collector District Raipur	Paradip Raipur	Mahasamund and Raipur	476.752-635.653	158.901
		Saraipali Korba	Mahasamund, Raipur, Janjgir-Champa, Korba	0.000-154.155	154.155

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.